




स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता.
17-12-15	<p>यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-2014 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी मेमो में द्वाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर तथा शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका ने उसके स्वामित्व की ग्राम नौहरी खुर्द तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 321 रकबा 3.554 हैक्टर हिस्सा 4/5 (2.84) हैक्टर, 313 रकबा 2.717 हैक्टर हिस्सा 4/5 (2.30) हैक्टर, 323 रकबा रकबा 0.941 हैक्टर हिस्सा 3/4 (0.76) हैक्टर, 312 रकबा 1.777 हैक्टर में से हिस्सा 13/15 तथा 327 रकबा 1.672 हैक्टर में से हिस्सा 13/15 रकबा 1.443 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के विक्रय किये जाने हेतु अपर कलेक्टर शिवपुरी</p>	

for



को आवेदन दिया। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 6 अ-21(1)/13-14 में पारित आदेश दिनांक 27.12.13 से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। आवेदिका ने इस आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष करने पर प्रकरण क्रमांक 77/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-2014 से प्रकरण पुनः जांच कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया है।

4/ प्रकरण में विचार करना है कि क्या वादग्रस्त भूमि आवेदिका को शासन से पट्टे पर प्राप्त है ? प्रकरण में आये तथ्यों से स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि आवेदिका को पट्टे पर प्राप्त नहीं है अपितु उसके द्वारा कय की भूमि है। आवेदिका के अभिभाषक के तर्कानुसार वादग्रस्त भूमि विक्रय करके आवेदिका खरगौन में निवासरत् हो जाने से प्राप्त धन से खरगौन जिले में भूमि खरीदेगी क्योंकि आवेदिका का खरगौन में निवास हो जाने से यह भूमि आवेदिका के किसी प्रयोजन की नहीं है। जब आवेदिका शिवपुरी छोड़कर खरगौन बस गई है निश्चित है कि शिवपुरी की भूमि आवेदिका के आजीविका के साधन की एवं लाभकारी कृषि प्रयोजन की नहीं रही है, जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नजर नहीं आती है। आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य

for

M

प्रकरण क्रमांक 4011 -तीन/2015 निगरानी

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता.
	<p>2013 रा0नि0-8 - माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-</p> <p>“ (1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।</p> <p>(2) विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन - भूलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।”</p> <p>भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा - 165 (7-ख) - पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष का समय हो चुका - पट्टाग्रहीता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के संब्यवहार हेतु स्वतंत्र है, जबकि वादग्रस्त भूमि आवेदिका की कय की गई भूमि है जिसके कारण आवेदिका वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आदेश पारित करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार न करने में भूल की है।</p>	

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-2014 एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्र0क0 6 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 27.12.13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं आवेदिका को उसके द्वारा कयकी गई स्वामित्व की ग्राम नौहरी खुर्द तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 321 रकबा 3.554 हैक्टर हिस्सा 4/5 (2.84) हैक्टर, 313 रकबा 2.717 हैक्टर हिस्सा 4/5 (2.30) हैक्टर, 323 रकबा रकबा 0.941 हैक्टर हिस्सा 3/4 (0.76) हैक्टर, 312 रकबा 1.777 हैक्टर में से हिस्सा 13/15 तथा 327 रकबा 1.672 हैक्टर में से हिस्सा 13/15 रकबा 1.443 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है कि :-

1. यदि प्रस्तावित क्रेता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।
2. विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता द्वारा आवेदिका के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद-विचारित भूमि का विक्रय पत्र पंजीयत करेंगे।
3. भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन इस आदेश से छेः माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा।
4. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को किये गये सेंशोधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विक्रय संपादित किया जायेगा।

fai

  
सदस्य